तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	शासन मि० अभियोगगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पेश रखा। प्रार्थना-पत्र के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज माना जाता है। पत्रावली मौसूल शुमार होकर नम्बर से कम के बाद तामील मुवाफिक के साथ [illegible] शरीक मिसल उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

मिसल नं० 21/53/2023 कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू

करणसिंह वगैरा

बनाम

गोपाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.04.2023	वकिल प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 213, 216, 193, वाके ग्राम शेखपुरा तहसील कठूमर रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 17.04.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 17.04.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
17/7/23	पत्रावली पेशकार/P.O. ... ... वास्ते दिनांक 14-9-23 को पेश हो।	
31/7/23	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपने वाद को वापिस लेकर खारिज कराने का निवेदन किया गया। प्रा० पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया	करनसिंह Adv.